नौ श्रम कानूनों में स्टार्टअप को मिली स्वप्रमाणन की छूट

तीन से पांच साल तक नियमित निरीक्षण नहीं, लिखित शिकायत पर ही जांच

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 में नई कंपनियों के लिए श्रम कानूनों के अनुपालन की प्रक्रिया आसान की गई है। अब स्टार्टअप को नौ श्रम कानूनों के अनुपालन के लिए स्वप्रमाणन की सुविधा मिलेगी। इसके तहत स्थापना की तारीख से तीन से पांच वर्ष तक नियमित श्रम निरीक्षण नहीं किया जाएगा। हालांकि, श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े उल्लंघन की विश्वसनीय और सत्यापन योग्य लिखित शिकायत मिलने पर जांच की जा सकेगी।

स्वप्रमाणन का उद्देश्य स्टार्टअप को नियमित विभागीय जांच से राहत देना और कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया सरल बनाना है। स्टार्टअप को संबंधित श्रम कानूनों का पालन करते हुए स्वयं प्रमाणित करना होगा कि वह निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है। इससे छोटी-छोटी प्रक्रियाओं के लिए श्रम विभाग के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, स्वप्रमाणन श्रम कानूनों से छूट नहीं है। कर्मचारियों से जुड़े सभी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। गलत घोषणा या कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा सकेगी।

लिखित शिकायत मिलने पर भी निरीक्षण अधिकारी सीधे जांच शुरू नहीं कर सकेगा। शिकायत की जांच और निरीक्षण के लिए उससे कम से कम एक स्तर वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी आवश्यक होगी। यह व्यवस्था स्टार्टअप को अनावश्यक निरीक्षण से बचाने के साथ श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। नीति के तहत स्टार्टअप को तीन शिफ्ट में संचालन की अनुमति होगी। रात की शिफ्ट में महिलाओं को भी काम कराया जा सकेगा। इसके लिए महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, कल्याण और संरक्षण के निर्धारित इंतजाम करना अनिवार्य होगा।

रात की शिफ्ट में महिलाएं भी कर सकेंगी काम, सुरक्षा के इंतजाम होंगे अनिवार्य

निगरानी के लिए चार स्तरीय व्यवस्था

नीति के प्रभावी क्रियान्वयन व निगरानी के लिए चार स्तर बनाए गए हैं। पहले स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी होगी। दूसरे स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सशक्त समिति होगी। तीसरे स्तर पर आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में नीति क्रियान्वयन इकाई होगी। चौथे स्तर पर स्टार्टअप समीक्षा विशेषज्ञ समिति होगी, जिसमें उद्योग, शिक्षा जगत, निवेशक, मार्गदर्शक, सरकारी प्रतिनिधि और वित्त पोषण एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।